समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण अपील संख्या–27 / 2010

संजय कुमार जैन

–बनाम्–

वन क्षेत्र पदाधिकारी, तेनुघाट (राज्य)

–::आदेश::–

22.01.2019

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। इस अपीलवाद में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अर्थात दिनांक–24.09.2010 को आदेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता संजय कुमार जैन के द्वारा माननीय् पुनरीक्षण प्राधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में रिविजन वाद सं0–2 / वन मुक0 (सी0) 83 / 2010 संजय कुमार जैन–बनाम–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो दायर किया गया था। इस रिविजन पिटिशन के सुनवाई के क्रम में त्रिमूर्ति ब्रिकेट से क्रय किये गये स्टोन मेटल वर्कस एव वहाँ से जप्ती स्थल की दूरी को जय अम्बे स्टोन वर्कस से निर्गत पत्थर के लिए प्रासंगिक नहीं है, को स्वीकार्य नहीं माना और संदर्भित वाद को पुनः दोनो पक्षो को सुनकर आदेश पारित करने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

इस संदर्भ में उभय पक्ष को विस्तृत रूप से सुना गया। अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पत्थर कुर्कनालो सुरक्षित वन क्षेत्र के प्लांट सं0–665 एव 700 से निकाला गया है। यह भी पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पर पत्थर निकाले जाने के निशान है एवं पत्थर के प्रकार भी लगभग समान है और वह हाथ से तोड़ा हुआ पाया गया। जब्त ट्रैक्टर जिसका पंजीयन सं0–JH-09J-5171 के चालक, खलासी एवं अन्य के द्वारा सीमांकित सुरक्षित वन भूमि के अन्दर अवैध रूप से उत्खनित पत्थर को प्रश्नगत वाहन में लोड कर वनचतरा कुर्कनालो वन पथ पर परिवहन किया जा रहा था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था। वन कर्मियों को देखते ही सभी वाहन छोड़कर भाग गये जो उनके दूषित मशा को दर्शाता है। जिस समय जब्ती की कार्रवाई हुई उस समय वाहन एवं उस पर लदे पत्थर के संबंध में कोई भी कागजात वन कर्मियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यह बात सही है कि त्रिमूर्ति ब्रिकेट से क्रय किये गये स्टोन मेटल वर्कस एवं वहाँ से जप्ती स्थल की दूरी को जय अम्बे स्टोन वर्कस से निर्गत पत्थर के

लिए प्रसांगिक नहीं माना जा सकता है किन्तु अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गए चालान को भी गलत पाया गया है। अतः समय के अतिरिक्त इस वाद में दिनांक–24.09.2010 को पारित आदेश में ऐसे कई साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जो कि अपीलकर्त्ता के उपर लगाए गये आरोपो को प्रमाणित करता है। ऐसे में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जप्त वाहन को विमुक्त करने के लिए दिये गए दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। पत्थर का वन भूमि से खनन भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा 2(4)(b)(iv) के प्रावधान के अन्तर्गत वन उत्पाद की परिभाषा में आता है। इस वाद में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–33 के अन्तर्गत वन अपराध होने के साक्ष्य मौजूद है। इसलिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–52(5) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता को कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

ऐसी स्थिति में संदर्भित वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2010 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नही है।

तदनुसार वन प्रमण्डल पदाधिकारी बोकारो एवं माननीय पुनरीक्षण प्राधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

रागाहर्त्ता–राह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.24 20:22:35 +05:30
Location: 192.168.91.234